

परियोजना का नाम:- कूटप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संपत्. कामिर्माण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

कूटप्रयाग नगर निगम

निर्माण शाखा

पेयजल संसाधन बिकाल

एवं निर्माण निगम कूटप्रयाग

वन दोषाधिकारी

कूटप्रयाग रेंज

ह0/-
उप वन संरक्षक
प्रमाणित वन अधिकारी
कूटप्रयाग

नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।